न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 30/2025 तारीख रजू:— 15.05.2025

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

रमेश पुत्र गणेशी जाति जाट निवासी चिनायटा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———————————————————————प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार साहब तहसील सूरौठ जिला करौली (राज0) (लैण्ड होल्डर) —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :—1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :— 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 714 रकवा 04 ऐयर, 715 रकवा 07 ऐयर, 869 रकवा 01 ऐयर, 991 रकवा 43 ऐयर, 992 रकवा 28 ऐयर, 993 रकवा 14 ऐयर, 997 रकवा 38 ऐयर कुल किता 7 कुल रकवा 1.35 है० बांके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है उक्त आराजीयात के सायल 13/55 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 मे दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 714, 715, का साबिक खसरा नम्बर 473 रकवा 7 विस्वा, नवीन खसरा नम्बर 869, का साबिक खसरा नम्बर 453 मि० रकवा 3 बीघा 5 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 991 का साबिक खसरा नम्बर 201 मि०, 158 मि, रकवा 1 बीघा 1 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 992 रकवा 200, 158 मि० रकवा 1 बीघा 4 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 993 का साबिक 199, 158 मि०, रकवा 8 विस्वा, हाल

खसरा नम्बर 997 का साबिक खसरा नम्बर 198 रकवा 1 बीघा 6 विस्था बांके ग्राम चिनायटा तहसील सूरीठ में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे दर्ज किया है कि हाल खसरा नम्बर 991, 992, 997, के साबिक खसरा नम्बर 201 मि०, 158 मि0, 200, 158 मि० 199, 158 मि0, 198 मि०, से बने है, उक्त साबिक खसरा नम्बर प्रार्थी सायल को मिशल नम्बर 847 दिनांक 04.12.74 को निर्णय एसडीओ हिण्डौन द्वारा प्रार्थी के हक में उक्त साबिक खसरा नम्बर 158 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा का नियमन किया गया था, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अमल करते समय साबिक खसरा नम्बर 158 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा का प्रार्थी के पिता गणेशी के हक में गैर खातेदार में दर्ज कर दिया गया था जो कानूनन उचित व विधि सम्मत नहीं है क्योंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक नियमन भूमि की खातेदारी ही दर्ज की जाती है, न कि गैर खातेदारी, उक्त प्रकरण हाजा में राजस्व कर्मियों द्वारा 1/55 भाग की गैरखातेदारी व 12/55 भाग की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में सम्पूर्ण नियमन भूमि के रकवा की खातेदारी ही प्रार्थी के हक में दर्ज होना आवश्यक था, उक्त प्रकरण हाजा में राजस्व कर्मियों द्वारा भूलवश गलती से गैरखातेदारी प्रार्थी के हक में दर्ज की गई है जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं उचित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 मे दर्ज किया है कि उक्त साबिक खसरा नम्बर 158 मि० रकवा 1 बीघा 11 विस्वा पर प्रार्थी सायल का बुजुर्गान के समय व नियमन के समय से ही कब्जा चला आ रहा है, और वर्तमान में सायल का ही उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 मे दर्ज किया है कि हाल खसरा नम्बर 991, 992, 993, का साबिक खसरा नम्बर 158 मि० है जिसका रकवा 1 बीघा 11 विस्वा है, तथा हाल खसरा नम्बर 997 का साबिक खसरा नम्बर 198 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा है तथा हाल खसरा नम्बर 714, 715 तथा साबिक खसरा नम्बर 473 रकवा 7 विस्वा व हाल खसरा नम्बर 869, 870, का साबिक खसरा 453 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा को मिलाकर वर्तमान जमाबंदी वहिस्सा 1/55 गैरखातेदार

एवं वहिस्सा 12/55 खातेदार सायल प्रार्थी के हक में दर्ज रिकॉर्ड है जबकि हाल खसरा नम्बर 714, 715, 869, 870, 997, प्रार्थी की पुश्तैनी पैतृक भूमि है उसको भी राजस्वकर्मियों ने राजस्व रिकॉर्ड में भूलवश प्रार्थी के हक में 1/55 भाग को गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया है जो गलत है, प्रार्थी / सायल उक्त खसरा नम्बरान का पूर्णतः खातेदार काश्तकार है, मुताबिक साबिक राजस्व रिकॉर्ड के साबिक खसरा नम्बर 158 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा का नियमन करते समय प्रार्थी के पिता के हक में 7/55 भाग गैरखातेदारी तथा 48/55 भाग खातेदारी में दर्ज किया जो कतई गलत व खिलाफ कानून विधि विरुद्ध है प्रार्थी के पिता के हक में पूर्णतः सम्पूर्ण रकवा 1 बीघा 11 विस्वा खातेदारी में ही दर्ज होना था जो राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व गलती के कारण दर्ज नहीं हो सका जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 मे दर्ज किया है कि उक्त राजस्व रिकॉर्ड में हुई अशुद्धि को शुद्ध करवाने का प्रार्थनापत्र प्रार्थी सायल द्वारा तहसीलदार सूरौठ को दिनांक 16.01.2025 को दिया तो तहसीलदार सूरौठ ने प्रार्थना पत्र लेकर अपने पास रख लिया और कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाओ तब ही उक्त गलती शुद्ध होगी इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 एलआर एक्ट के तहत निश्चित कोर्टफीस पर अन्दर म्याद पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की समाअत व सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्त किये जाने राजस्व रिकॉर्ड अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट का पेश कर अर्ज है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी सायल के हक में दर्ज 1/55 भाग गैरखातेदारी को दुरूस्त करते हुये उसके स्थान पर 1/55 + 12/55 भाग यानि 13/55 भाग प्रार्थी / सायल को

खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा अमल दरामद हेतु एक तहरीर अप्रार्थी तहसीलदार सूरौठ को जारी होवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने बाद तामील जरिये पत्रांक कोर्ट/2025/60 दिनांक 17.11.2025 से उक्त प्रकरण का जबाव प्रार्थना पत्र मुताबिक रिपोर्ट कार्यालय नायब तहसीलदार शेरपुर एवं भू0अभिलेख निरीक्षक शेरपुर एवं पटवारी हल्का चिनायटा के अुनसार बिन्दुवार पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि मुताबिक जमाबंदी ग्राम चिनायटा संवत अंतिम चौसाला आधार संवत 2071–74 जमाबंदी 2077 (2020) से स्थाई के जसरा संख्या 714, 715, 869, 991, 992, 993, 997 कुल किता 07 कुल रकबा 1.35 है० सायल रमेश पुत्र गणेशी हिस्सा 12/55 खातेदार व हिस्सा 1/55 गैर खातेदार शेष बदस्तूर मुताबिक जमाबंदी दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम चिनायटा की प्रति के हाल खसरा संख्या 714 रकबा 0.04, 715 रकबा 0.07 है०, साबिक ख०सं० 473 मि० रकबा 7 विस्या, ख०सं० 869 रकचा 0.01 है०, 870 रकबा 0.85 है० का साबिक खसरा नं0 453 मिन रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नं0 991 रकबा 0.43 है0 साबिक ख0नं0 201 मिन रकबा 1 बीघा 158 मिन रकबा खाली, हाल खसरा संख्या 992 रकबा 0.28 है० का साविक खसरा संख्या 200 रकबा 01 बीघा 04 विस्या, 158 मि० रकबा खाली, हाल खपसं० 993 रकबा 0.14 का साबिक खसरा संख्या 199 रकबा 08 विश्वा खसरा संख्या 158 मिन रकबा खाली हाल खसरा संख्या 997 रकबा 0.38 है० का साबिक ख0सं० 198 रकबा 01 बीघा 06 विस्वा दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा प्रस्तुत की गई विनियमन आदेश की प्रति व रिपोर्ट पटवारी की प्रति में अकित मि०सं० 847 दिनांक 04.12.1974 के गणेशी पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी चिनायटा को ख०सं० 158 में से रकबा एक बीघा ग्यारह विस्वा विनियमित हुई थी उक्त आदेश की पालना में ना०सं० 136 से गणेशी पुत्र हरनन्द जाट के नाम

गैर खातेदारी दर्ज करने का निर्णय दिनांक 08.01.1976 को तत्कालीन राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया। उक्त नामान्तरकरण का अमल ग्राम चिनायटा की जमाबंदी संवत 2035–38 में किया गया एवं मुताबिक सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी की प्रति के खाता संख्या 262 पर गणेशी पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी ग्राम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान खसरा हाल ख0नं0 991, 992, 993 साबिक ख०सं० क्रमशः ख०सं० 201 मि० 158 मि०, 200, 158 मि० व खं० सं० 199, 158 मि० से बने है। उक्त खसरा संख्या 991, 992, 993 व ख०सं० 714, 715, 869 870, 997 कुल किता 08 कुल रकबा 220 है० का सायल द्वारा प्रस्तुत, सेटलमेंट खतौनी की प्रति संवत 2046 से 2066 के खाता संख्या 89 पर गणेशी पुत्र हरनन्द जाति जाट खातेदार हि 48/55 व गैर खातेदार हि० 7/55 दर्ज कर दिया गया जो गणेशी पुत्र हरनन्द के फौत होने पर गणेशी के वारिसान के नाम खातेदार व गैर खातेदार हिस्से अनुसार पूर्ववत दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। जिससे वर्तमान में सायल रमेश पुत्र गणेशी हि० 12/55 खातेदार व रमेश पुत्र गणेशी हि0 1/55 गैरखातेदार व शेष मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि साविक ख०सं० 473 मि०, 453 मि०, 201 मि०, 200, 199, 158 मि० 198 के हाल ख०सं० 714, 715, 869, 870, 991, 992, 993, 997 कुल किता 08 रकबा 2.20 है० पूर्व में गणेशी पुत्र हरनन्द व बर्तमान में गणेशी के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम मुताबिक जमाबंदी गैरखातेदार व खातेदार शामिल खाता दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि साविक ख०सं० 158 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा गणेशी पुत्र हरनन्द को मुताबिक मिशल संख्या 547 दिनांक 04.12.1974 को विनियमित की गई थी उक्त आदेश की पालना में नामानाकरण संख्या 136 से गणेशी पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी ग्राम गैर खातेदार के नाम खाता कायम किया गया जो सेटलमेट विभाग द्वारा साविक ख०स० 158 व अन्य खसरों को मिलाकर बने हाल ख०सं० व अन्य खसरा नम्बरों से एक खाता बना दिया गया उक्त खाता में गैरखातेदार दोनों हिस्से अनुसार

शामिल कर दिया गया जो वर्तमान में भी खातेदार व गैरखातेदार का शामिल खाता दर्ज चला आ रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6,7,8 में दर्ज किया है यह है कि बिन्दु सख्या 6,7,8 कानूनी है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल बंदोवस्त खतौनी, नकल खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग सम्बत् 2065, नकल रिपोर्ट पटवारी दिनांक 04.12.1974, नकल कार्यालय उपजिलाधिकारी हिण्डौन द्वारा जारी विनियमन आदेश, नकल नामान्तकरण सं0 136 दिनांक 08.01.1976, नकल जमाबन्दी सं0 2035–38, नकल जमाबन्दी आधार वर्ष सम्बत् 2047, नकल जमाबन्दी सं0 2051–54, नकल जमाबन्दी सं0 2055–58, नकल जमाबन्दी सं0 2059–62, नकल जमाबन्दी सं0 2063–66, नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2036–39, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 714 रकवा 0.04 है0, 715 रकवा 0.07 है0, 869 रकवा 0.01 है0, 991 रकवा 0.43 है0, 992 रकवा 0.28 है0, 993 रकवा 0.14 है0, 997 रकवा 0.38 है0 कुल किता 7 कुल रकवा 1.35 है0 बाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी के कॉलम में रमेश पुत्र गणेशी हि0 1/55 जाति जाट गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड खातेदार एवं गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलेन्ट साबिक खसरा नम्बर से नवीन खसरा नम्बर निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	साबिक खसरा नं0	रकबा
994 995	0.01 0.17	158 मिन	1 बीघा 3 बिस्वा
991	0.43	201 मिन 158 मिन	1 बीघा 1 बिस्वा
992	0.28	200 मिन 158 मिन	1 बीघा 4 बिस्वा
993	0.14	199 मिन 158 मिन	1 बीघा 3 बिस्वा

नकल खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग सम्बत् 2065 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 714 रकवा 0.04 है0, 715 रकवा 0.07 है0, 869 रकवा 0.01 है0, 870 रकबा 0.85 है0, 991 रकवा 0.43 है0, 992 रकवा 0.28 है0, 993 रकवा 0.14 है0, 997 रकवा 0.38 है0 कुल किता 8 कुल रकवा 2.20 है0 बाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी गणेशी पुत्र हरचन्द जाति जाट खातेदार हि0 48/55, व गैरखातेदार हि0 7/55 दर्ज रिकार्ड है।

नकल एस.डी.ओ. हिण्डौन विनिमयन मिसल नं0 847 प्रार्थना पत्र गणेशी पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी चिनायटा की पत्रावली में सलंग्न रिपोर्ट पटवारी दिनांक 04.12.1974 – विषय– विवाद काश्त करने सिवायचक ख्सरा नम्बर 158 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम चिनायटा पर गणेशी पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी चिनायटा ने बिना मंजूरी राज काश्त कर ली है। जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट अंकित की है कि मूल रिपोर्ट तहसीलदार की सेवा में पेश कर निवेदन है कि लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत बेदखल फरमाये जावे। उक्त रिपोर्ट की पुष्ट पर दिनांक 11.04.1975 को तहसीलदार ने टिप्पणी अंकित की है कि नियमन की तारीफ में आता है अतः मूल ही वास्ते नियमन हेतु श्रीमान् एस.डी.ओ. सहाब हिण्डौन की सेवा में पेश है।

नकल कार्यालय उपजिलाधिकारी हिण्डौन द्वारा जारी विनियमन आदेश के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 158 में से रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन का गणेशी पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौन के हक में विनियमन किया गया है।

नकल नामान्तकरण सं0 136 दिनांक 08.01.1976 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 158 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम चिनायटा के नाम नियमन होने से गैरखातेदारी दर्ज हो।

नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 158 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम चिनायटा की खातेदारी के कॉलम में गणेशी पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी ग्राम गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी आधार वर्ष सम्बत् 2047 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 714 रकवा 0.04 है0, 715 रकवा 0.07 है0, 869 रकवा 0.01 है0, 870 रकबा 0.85 है0, 991 रकवा 0.43 है0, 992 रकवा 0.28 है0, 993 रकवा 0.14 है0, 997 रकवा 0.38 है0 कुल किता 8 कुल रकवा 2.20 है0 बाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी गणेशी पुत्र हरचन्द जाति जाट खातेदार हि0 48/55, व गैरखातेदार हि0 7/55 दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2051–54 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 714 रकवा 0.04 है0, 715 रकवा 0.07 है0, 869 रकवा 0.01 है0, 870 रकबा 0.85 है0, 991 रकवा 0.43 है0, 992 रकवा 0.28 है0, 993 रकवा 0.14 है0, 997 रकवा 0.38 है0 कुल किता 8 कुल रकवा 2.20 है0 बाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी गणेशी पुत्र हरचन्द जाति जाट खातेदार हि0 48/55, व गैरखातेदार हि0 7/55 दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2055–58 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 714 रकवा 0.04 है0, 715 रकवा 0.07 है0, 869 रकवा 0.01 है0, 870 रकबा 0.85 है0, 991 रकवा 0.43 है0, 992 रकवा 0.28 है0, 993 रकवा 0.14 है0, 997 रकवा 0.38 है0 कुल किता 8 कुल रकवा 2.20 है0 बाके ग्राम चिनायटा तहसील

सूरौठ की खातेदारी गणेशी पुत्र हरचन्द जाति जाट खातेदार हि0 48/55, व गैरखातेदार हि0 7/55 दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2059–62 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 714 रकवा 0.04 है0, 715 रकवा 0.07 है0, 869 रकवा 0.01 है0, 870 रकबा 0.85 है0, 991 रकवा 0.43 है0, 992 रकवा 0.28 है0, 993 रकवा 0.14 है0, 997 रकवा 0.38 है0 कुल किता 8 कुल रकवा 2.20 है0 बाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी गणेशी पुत्र हरचन्द जाति जाट खातेदार हि0 48/55, व गैरखातेदार हि0 7/55 दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2063–66 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 714 रकवा 0.04 है0, 715 रकवा 0.07 है0, 869 रकवा 0.01 है0, 870 रकबा 0.85 है0, 991 रकवा 0.43 है0, 992 रकवा 0.28 है0, 993 रकवा 0.14 है0, 997 रकवा 0.38 है0 कुल किता 8 कुल रकवा 2.20 है0 बाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी गणेशी पुत्र हरचन्द जाति जाट खातेदार हि0 48/55, व गैरखातेदार हि0 7/55 दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 516 दिनांक 20.12.2006 विरासत से गणेशी मृतक के बजाय रोशन, रमेश, प्रकाश, वलवीर पि0 गणेशी रामोती रामकली विध्या पुत्री गणेशी के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 714 रकवा 0.04 है0, 715 रकवा 0.07 है0, 869 रकवा 0.01 है0, 870 रकबा 0.85 है0, 991 रकवा 0.43 है0, 992 रकवा 0.28 है0, 993 रकवा 0.14 है0, 997 रकवा 0.38 है0 कुल किता 8 कुल रकवा 2.20 है0 बाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी रोशन, रमेश, प्रकाश, वलवीर पि0 गणेशी रामोती रामकली विरमा पुत्री गणेशी जाति जाट खातेदार हि0 48/55, व गैरखातेदार हि0 7/55 दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 705 दिनांक 05.09.2014 हकत्याग से रामोती रामकली विरमा पुत्री गणेशी बहक रोशन रमेश प्रकाश बलवीर के नाम स्वीकार हुआ हिस्सा 144/385 दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 714 रकवा 0.04 है0, 715 रकवा 0.07 है0, 869 रकवा 0.01 है0, 870 रकबा 0.85 है0, 991 रकवा 0.43 है0, 992 रकवा 0.28 है0, 993 रकवा 0.14 है0, 997 रकवा 0.38 है0 कुल किता 8 कुल रकवा 2.20 है0 बाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी रोशन, रमेश, प्रकाश, वलवीर पि0 गणेशी जाति जाट हि0 48/55 खातेदार, रोशन, रमेश, प्रकाश, वलवीर पि0 गणेशी रामोती रामकली विरमा पुत्री गणेशी जाति जाट गैरखातेदार हि0 7/55 दर्ज रिकार्ड है

नकल खसरा गिरदावरी सं0 2036–39 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 158 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम चिनायटा की खातेदारी के कॉलम में गणेशी पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी ग्राम गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त वर्षों में गैरखातेदार के द्वारा विनियमन भूमि को काश्त के उपयोग में नहीं लिया गया है अर्थात मुताविक खसरा गिरदावरी सं0 2036–39 में गैरखातेदार गणेशी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई फसल काश्त नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार चाहने बाबत् पेश किया गया है। जबकि धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत उन्हीं गलतीयों की दुरूस्ती की जा सकती है जिनमें पूर्व के राजस्व रिकार्ड सही पृविष्टि हो और बाद के रिकार्ड में उसमें परिवर्तन कर दिया गया हो। प्रार्थी को नियमानुसार वाद दायर करना चाहिए था। प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थीगण के द्वारा रिकोर्डेड सहखातेदारान को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसलिए उक्त प्रकरण में नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुख्स भी आरिज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 714 रकवा 0.04 है0, 715 रकवा 0.07 है0, 869 रकवा 0.01 है0, 870 रकबा 0.85 है0, 991 रकवा 0.43 है0, 992 रकवा

0.28 है0, 993 रकवा 0.14 है0, 997 रकवा 0.38 है0 बाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 9/4/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली